

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि मगनीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

Sl. No.	Particulars	Remarks
1	Total cost (Investment incurred)	Lacs
(A)	Construction cost of Project for 100 Km	Lacs
(B)	NPV Amount	Lacs
(C)	NPV Amount	Lacs
(D)	NPV Amount	Lacs
(E)	NPV Amount	Lacs
(F)	NPV Amount	Lacs
(G)	NPV Amount	Lacs
(H)	NPV Amount	Lacs
(I)	NPV Amount	Lacs
(J)	NPV Amount	Lacs
(K)	NPV Amount	Lacs
(L)	NPV Amount	Lacs
(M)	NPV Amount	Lacs
(N)	NPV Amount	Lacs
(O)	NPV Amount	Lacs
(P)	NPV Amount	Lacs
(Q)	NPV Amount	Lacs
(R)	NPV Amount	Lacs
(S)	NPV Amount	Lacs
(T)	NPV Amount	Lacs
(U)	NPV Amount	Lacs
(V)	NPV Amount	Lacs
(W)	NPV Amount	Lacs
(X)	NPV Amount	Lacs
(Y)	NPV Amount	Lacs
(Z)	NPV Amount	Lacs

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिरासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Cost Benefit Ratio Chart

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

Block:- Augustyamuni

Disti :- Rudraprayag

Not Applicable because Area is Less than 5 Ha.

Sr.	Particulars	Amount	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction Cost of Project for 2.00 Km		Lacs
(B)	N.P.V. Amount to be disposed @ 9.20 lac/Hactre $0.476 \times 9.20 =$		lacs
(D)	Substitute/Alternation Plantation Cost to be Disposed:- $13.375 \text{ Km} \times 2.397 =$		lacs
	Total		lacs
2	Benefits:-		
	Benefits from 2.00 km road (Taking Age of Road As 50 Years)		
(A)	Economics Benefits-Market Development Taking 10 shop are established after construction of this road Taking minimum benefits for per shop per day = 200.00 Benefit for 10 shop per month = $10 \times 30 \times 200 = 0.60 \text{ Lacs}$ Benefit for 1 year = $0.60 \times 12 = 7.20 \text{ lacs}$ Benefit for 50 year = $7.20 \times 50 = 360.00 \text{ Lacs}$		lacs
(B)	Direct Employment of Labours- Benefit for annual maintenance of road take 10 Beldar / Month @ 3000 = 0.30 Lacs Benefit for 1 year $0.30 \times 12 = 3.60 \text{ Lacs}$ Benefit for 50 year $\times 3.60 \times 50 = 180.00 \text{ Lacs}$		lacs
(C)	Employment Generation Due to other activities like transportation market development etc. Take = 10 people get /month @ 0.03 = 0.30 Lacs Benefit for 1 Year = $0.30 \times 12 = 3.60 \text{ Lacs}$ Benefit for 50 year = $3.60 \times 50 = 180.00 \text{ Lacs}$		lacs
	Increase in productivity		lacs
	Total		Lacs
	Total cost of Benefit ratio = $750.00 / 308.540$		Lacs
Note	Therefore construction of Economically Viable and social beneficial.		

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

Page No. 74

Parameter for Evaluation of loss of Forests
Nature of Proposal

Annexure-VI (B)

Sl.no.	Parameters	Roads Tr. lines & Raliway line
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annul basis, including loss of man hours per annum of people who derived livelihood and wage from the harvest of these commodities	In comparision to fenifit to the people and connectiving, there is less loss of value of timbers fuel wood and miner forest produce. No loss of forest product out turn of trees are 8 lacs no loss of livelihood.
2	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder	No loss of animal husbandr instead it will assist people to develop the occupation.
3	Cost of human resettlement	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	There is no loss of public facilities and administrative infrastructure the corst of road will provide better mibilization of public.
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	There is no chance of soil erosion, No effect on hydrological cycle, No disturbances to wildlife. No environment loss.
6	Suffering to oustees	Nil

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिसारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests
Nature of Proposal Annexure-VI (C)

Sl.no.	Parameters	Roads Tr. lines & Raliway line
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	Productivity wood increase approx by 50 Lacs in the area.
2	Benefits to economy	The economy of the people residing there would boost up. People would get the fertilizer at low cost and would be able to transport the products at cheaper rates.
3	No. of population benefited.	Approx 5000 people would be benefited.
4	Employment potential.	Approx 2.16 lacs days of employment would be generated during the construction of road.
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	Cost of aquisition on non forest land is approx Rs. 40.00 lacs.
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	i. There would be no loss in agricultural products. The productivity would be increased due to easy availability of fertilizers. ii. There would be no loss in animal husbandry, people would get cost of. iii. There products due to having transportation facilities.
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	No displacement of persons is required thus the cost is Nil.
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	The construction of road will be carried out by local villagers hence fuel wood will be arranged by them locally as per local practices. Hence cost of supply of fuel wood=Nil.

अमीन
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक जिलाधिकारी
क्षेत्र
तहसील
जिला रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

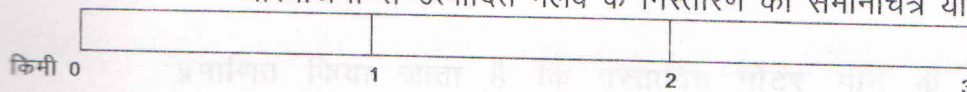
प्रति हस्ताक्षरित

Raghu
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

मक का प्रमाण पत्र

परियोजना से उत्पादित मलवों के निस्तारण की समानचित्र योजना



मोटर मार्ग के नव निर्माण से निकलने वाले मलवे का उपयोग मार्ग के समतलीकरण एवं भरान में किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

मक निस्तारण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के नव निर्माण से निकलने वाले मलवे का उपयोग दीवार निर्माण व समतलीकरण में किया जायेगा।

1	किमी 1	1.5	0.18	8.24	120.00	5.90	82.8
2	किमी 2	1.8	0.20	10.26	130.00	5.50	82.8
3	किमी 3	2.5	0.18	10.24	150.00	6.00	82.8

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

मक डिस्पोजल प्लान

Page No. 71

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 3.00 किमी० हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 3.00 किमी० हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। से उत्पादित मलवे का निस्तारण विन्हित स्थलों में किया जायेगा। जिससे वन सम्पदा तथा पर्यावरण की क्षति न्यूनतम हो उत्पादित मलवे को निम्न लिखित स्थानों में डिस्पोजल किया जायेगा। इन स्थानों को 1:50000.00 पैमाने के मानचित्र में नीले रंग से दर्शाया गया है। मानचित्र संलग्न है।

क्र० सं०	किमी० नं० जिनका मक डिस्पोजल होना है।	डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थल (किमी०)	लम्बाई - चौड़ाई (मी)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
1	किमी० 1	X.S. 0/ 18 - 0/ 24	150.00 x 5.90	885.00	
2	किमी० 2	X.S. 16/ 20 - 16/ 26	150.00 x 5.50	825.00	
2	किमी० 3	X.S. 16/ 18 - 16/ 24	150.00 x 6.00	900.00	
			Total	2610.00	
			Or	2.6100	Hac
			Say	2.6100	Hac

अमीन
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिसारी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अर्न्तगत अगस्तमुनि डोभा- गणेशनगर हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 2.8170 है० वन भूहम का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 2.8170 है०

संयोजित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौध)

5634 पौध

प्रथम चरण				
क्र.सं०	कार्य का नाम	इकाई		योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.8170	है०	78.000
2	स्थल सफाई कार्य	2.8170	है०	2543.000
3	कुली दीवारबन्दी कार्य / फनिसंग (150 मी प्रति है० = 81 घ०मी० @ 172 /-घ०मी०	2.8170	है०	15309.000
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	5634	गड्ढा	5.420
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	140.9	किग्रा०	19.000
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	2.8170	है०	624.000
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	5634	पौध	4.300
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	1. वानस्पतिक / स्टोन चैकडेम 8 X 4588 = 36700.00	2.8170	है०	62400.000
	3. वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 x 2.50 x 1.0) 5x5140 = 25700.00			
	योग- 62400.00			
	योग - प्रथम चरण			172105.248
द्वितीय चरण				
1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास / काला बांस)	2.8170	है०	1287.00
2	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.450)	5634	गड्ढा	0.97
3	पौध डुलान कार्य	5634	पौध	6.00
4	पौधारोपण व थालाबन्दी	5634	पौध	1.89
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मल्लिचंग कार्य	5634	पौध	1.29
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मल्लिचंग कार्य	5634	पौध	1.11
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	5634	पौध	1.20
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	2.8170	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०
9	अन्य कार्य	2.82	है०	310.00
	योग- द्वितीय चरण			86563.59
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			258668.84
तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०				
1	पौध की लागत	5634	पौध	5.50
2	पौध डुलान कार्य	5634	पौध	6.00
3	पुनः गड्ढे खोदना एवं रोपण कार्य	5634	पौध	3.20
4	गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	5634	पौध	1.31
5	पौधों की शीतकालीन मल्लिचंग	5634	पौध	1.11
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	2.8170	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.8170	है०	310.00
	योग- तृतीय चरण			112274.35

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	2.8170	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.8170	है0	310.00
	योग- चतुर्थ चरण			16693.54
पंचम चरण (रख रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकी दार का पारिश्रमिक 12 माह	2.8170	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.8170	है0	310.00
	योग- पंचम चरण			16693.54
छठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8170	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8170	है0	310.00
	छठवां चरण का योग :-			16693.54
सातवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8170	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8170	है0	310.00
	सातवां चरण का योग :-			16693.54
आठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8170	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8170	है0	310.00
	आठवां चरण का योग :-			16693.54
नवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8170	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8170	है0	310.00
	नवें चरण का योग :-			16693.54
दसवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8170	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8170	है0	310.00
	दसवें चरण का योग :-			16693.54
कुल धनराशि		प्रथम चरण		172105.25
		द्वितीय चरण		86563.59
		तृतीय चरण		112274.35
		चतुर्थ चरण		16693.54
		पंचम चरण		16693.54
		षष्ठम चरण		16693.54
		सप्तम चरण		16693.54
		अष्टम चरण		16693.54
		नवम चरण		16693.54
		दशम चरण		16693.54
		कुल योग		487797.99
		कुल योग—		487797.99
		या		487790.00

प्रभारित
प्रभारित वनीकरण
उद्भूत प्रयोग वर्ष
उद्भूत प्रयोग

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
मक डिस्पोजल प्लानिंग

Sr. No.	Material recived from hill side cutting	13500.00	cum
	Material received from hill side cutting including 40% of swell factor	18900.00	cum
Disposal and Use of Material			
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	3046.15	cum
2	R.R. Stone Masonary laid dry	4264.61	cum
3	Hand packed Stone filling	2492.30	cum
4	Construction of Wire crate	747.69	cum
5	Construction of Parapet	598.15	cum
6	Granular sub base /base/surface	2475.00	cum
8	Total	13623.90	cum
9	Material Disposal by Cartage	5276.10	cum

Location and Quantity of Dabries Disposal

Name of Road	Location of dumping Yard	Size of Dumping Yard	Type of Land	Capacity of Dumping yard (cum)	Remarks
Sari-Vijrakot	Kakodakhal	100x5x5	Civil Land	2500.00	Govt. of Uttarakhand Land
		150x5x5	Civil Land	3750.00	do
		100x5x4	Civil Land	2000.00	do

Summary of Dabries Disposal

Sr. No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in Dumping Zone
1	18900.00	5276.10	13623.90	5276.10

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

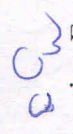
परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डिस्पोजल प्लानिंग

S. No.	Total Material received from hill side cutting of the road (in cum)	Re-used material for road construction of (Retaining wall, Breast Wall, G.S.B. Parapet, wire crate etc)	Balance quantities of debries in cum	Location of dumping Yard in Km	Chainage	Area of the yard in sqm	Type of land	Capacity of Dumping yard in cum	Proposed debries to be disposal in the Dumping yard in cum	Total Quantity of Debris in dumping yard
	18900.00	13623.90	5276.10	Kakodakhal	Hm 0-4	500	Civil Land	2500	8250.00	5276.10
					Hm 4-8	750	Civil Land	3750		
					Hm 8-10	500	Civil Land	2000		

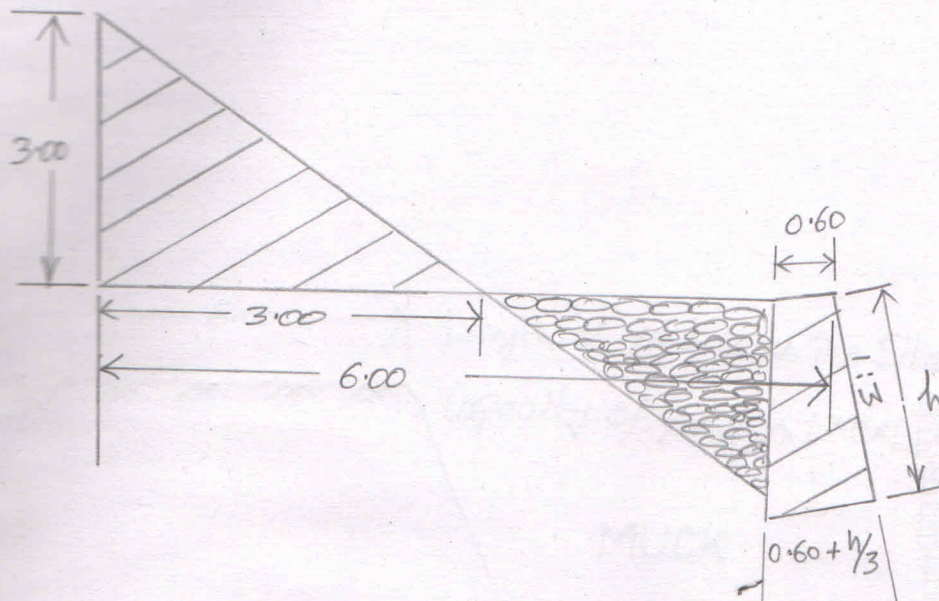

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag


Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

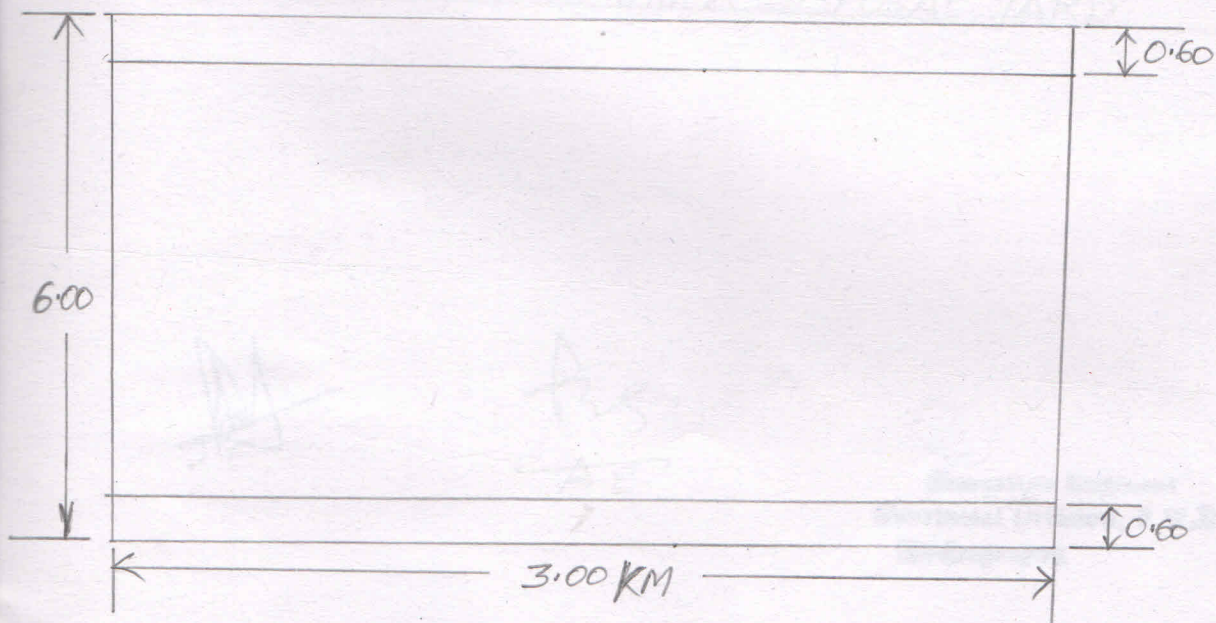

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

DRAWINGS OF MUCK DISPOSAL FOR CONSTRUCTION OF

SEMI-ESTRUST MOTOR ROAD



Material Received From Hill Side Cutting :- $\frac{1}{2} \times 3000 \times 3 \times 3.00 = 13500.00$ Cum



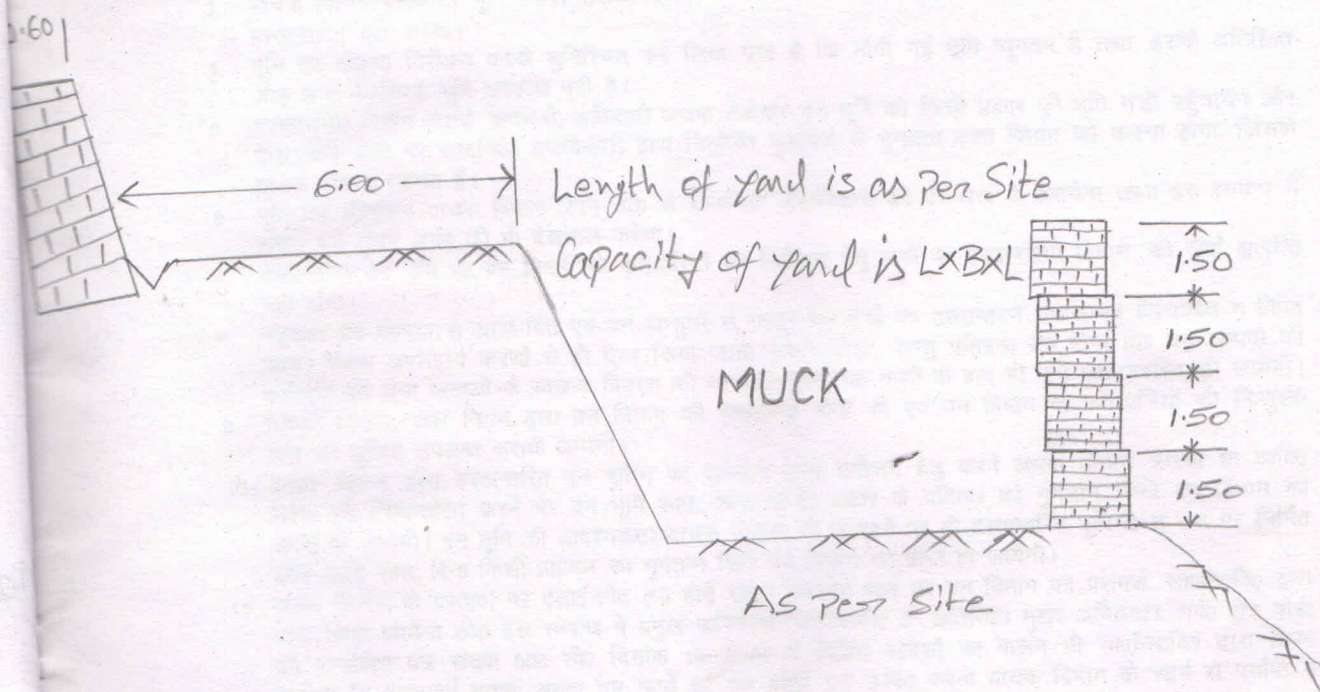
J.E.

A.E.

Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.

DRAWING OF MUCK DISPOSAL FOR CONSTRUCTION OF

SAARI-BITRAKOT MOTOR ROAD



TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD


J.E.


A.E.


Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
Dehradun

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरणीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरणीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

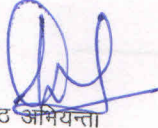
सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

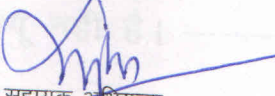
अधिशाली अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०)।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०।

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमिवर्षों की लीज पर ली जा रही है।

—लागू नहीं है।—


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

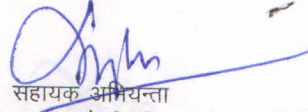

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०)।

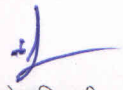
प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

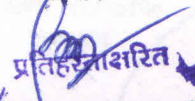
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना जल विद्युत परियोजना नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिरासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग